<u>**Annexure-1**</u>

<u>परियोजना का नामः– *स्यालब–सुकन पेयजल योजना हेतु 0.4268 है0 वन भूमि का 15 वर्षों की लीज पर दिया जाना*</u>

FORM-I
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project :-

No. ..101/2016..........

Dated:- 18-3-2016

<u>TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN</u>

In compliance of the ministry of Environment and foreste (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guigelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Fotest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.4268 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **C.D.U.P.J.N.U Block. Naugaon** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **Syalabh, Sukan, Khursil, Jakhali, Gaul and Badata** village in **Naugaon.**

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.4268 hectares** of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultation and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities manager by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not onvolve recognized rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

<u>**Encl**</u> **:** <u>**As above**</u>

18/03/16

(Vinay Shankar Pandey)
District Magistrate
Uttarkashi.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

C:\Users\UPJN-UKI-PC-1\Downloads\FRA Svalabh.docx

Annexure

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest dwellers (recognition of rights act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of uttarkashi district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr Indudhar Bauralu I.A.S. District Magistrate uttarkashi in date ..18.3.-2016.at uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring **0.4268** hect for construction of Syalabh Sukan w/s Scheme of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly procwssed and recommended by the sub division level committee of **Naugaon sub division** were discussed to consider the same for admission by the district lavel committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion on objection/claims were found to have been msde & hence District lavel committee tecommend the above cade for diversion of land for the said purpose

Plase : Uttarkshi

Dated : 18-3-16

18/03/16

(Vinay Shankar Pandey)
District Magistrate-cum-chairman
District Lavel Committe
Uttarkashi.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

C:\Users\UPJN-UKI-PC-1\Downloads\FRA Svalabh.docx

It is certified that-Minutes of meeting of Syalabh Sukan W/s Scheme Regarding FRA is as Following :-

Si No		**Remarks**
A	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried our the entire **0.4268 Het.** Of forest area proposed for diversion A copy of record of all consultaions and meeting of the forest right committee (s), Gram sabha (s), sub division level committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
B	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers haven given consent to it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. **No objection certificate** of concernes villages regarding construction of aforesaid Syalabh Sukan W/s Scheme attached
C	The proposal does not invvolce recoginiged rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

18/03/16

(Vinay Shankar Pandey)
District Magistrate-cum-Chairman
District Lavel Committe
Uttarkashi.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

C:\Users\UPJN-UKI-PC-1\Downloads\FRA Svalabh.docx

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिति, जिला उत्तरकाशी

आज दिनांक 18-3-2016 को जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के ग्राम स्यालब, सुकन, जखाली, गौल एवं बडाथा मे स्यालब–सुकन पेयजल योजना हेतु पाईप लाईन के निर्माण के लिये 0.4268 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिला स्तरीय समित :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01	02	03	04
1	श्री विनय शंकर पाण्डेय	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	[signature] जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी	[signature]
3	श्री गिरीश कुमार रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी	[signature]
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी	[signature]
5	श्रीमती अनिता गुसांई	जिला पंचायत सदस्य वार्ड न0 4, उत्तरकाशी	[signature]
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य, वार्ड न0 16, उत्तरकाशी	[signature]

परियोजना का नामः— स्यालब—सुकन पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी,बड़कोट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नौगांव (बड़कोट)

उपखण्ड नौगांव परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्यालब—सुकन पेयजल योजना हेतु (0.4268 हे0 आरक्षित वनभूमि ....—.... हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि ....—.... हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.4268 हे0 वन भूमि) को **निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तरकाशी** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक 26-2-16.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री .... उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2. श्री डी॰ पी॰ सिंह .... उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3. श्री वैभव रावत .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी ...सचिव... सदस्य/सचिव
4. श्रीमति शैलेन्द्री देवी .... बी0डी0सी0 क्षेत्र ...कुमसोला... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **स्यालब—सुकन पेयजल योजना** परियोजना हेतु 0.4268 हे0 वनभूमि **निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तरकाशी** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट.............. द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नौगांव परिक्षेत्र के अन्तर्गत **स्यालब—सुकन पेयजल योजना** परियोजना के निर्माण हेतु 0.4268 हे0 वनभूमि **निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तरकाशी** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

श्रीमती शैलेन्द्री देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत समिति
वि0ख0—नौगांव(उत्तरकाशी)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— बड़कोट, जनपद उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

C:\Users\user\Downloads\FRA Syalabh.docx

परियोजना का नामः– स्यालब–सुकन पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायतः- स्यालब, सुकन, खुर्शील, जखाली (नगाण गांव), बड़ाथा (पाली), गौल तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड में स्यालब–सुकन पेयजल योजना परियोजना के निर्माण हेतु (0.4268 हे0 आरक्षित वन भूमि, ... हे0 सिविल सोयम भूमि .... हे0 वन पंचायत भूमि .... हे0) अर्थात कुल 0.4268 हे0 वन भूमि का निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तरकाशी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत स्यालब, सुकन, खुर्शील, जखाली (नगाण गांव), बड़ाथा (पाली), गौल द्वारा दिनांक .... सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी में आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यालब, सुकन, खुर्शील, जखाली (नगाण गांव), बड़ाथा (पाली), गौल के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तरकाशी प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत स्यालब — ह0 सुरमा — दि0 — विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत नगाण गांव — ह0 Gurdevi — दि0 — विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत — विकास खण्ड–नौगांव

प्रधान ग्राम पंचायत सुकन — ह0 — दि0 — विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी)

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रधान ग्राम पंचायत पाली — ह0 — दि0 — विकासखण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत — ह0 — दि0 — विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–23.1

दिनांक .... को ग्राम सभा/सभाओं की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

वन अधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत भूमि स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत स्यालव सुकण पाली।

परियोजना - स्यालव सुकण पेय जल योजना।

क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	रमेश चन्द ग्राम सुकण	[illegible]
	शीशपाल सिंह ग्राम स्यालव	[illegible]
	किताब सिंह ग्राम स्यालव	किताब सिंह
	रणवीर सिंह ग्राम कुर्सिल	[illegible]
	शीशपाल सिंह पूर्व प्रधान स्यालव	[illegible]
	चैन सिंह ग्राम सुकण	चैन सिंह
	सरवीर सिंह ग्राम स्यालव	चैन सिंह सरवीर सिंह
	उत्तम सिंह ग्राम स्यालव	उत्तम सिंह
	प्रदीप सिंह " "	प्रदीप सिंह
	शैलेन्द्र सिंह	शैलेन्द्र
	भरत सिंह	भरत सिंह
	जगमोहन सिंह	जगमोहन
	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
	रवजान सिंह ग्राम स्यालव	रवजान सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत फूलधार ह0 .... दि0 .... विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत स्यालव ह0 .... दि0 .... विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

शैलेन्द्री देवी
श्रीमती शैलेन्द्री देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत कर्सिल
वि0ख0–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत कुर्सिल ह0 गोकली दि0 .... विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत सुकण ह0 बसली देवी दि0 .... विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत पाली ह0 .... दि0 .... विकासखण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत .... ह0 Gurudevi दि0 .... विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)